न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा (अजमेर)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 05/2017

1. सुरजकरण पुत्र श्री हरदेव जी जाट जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील बिजयनगर जिला अजमेर हाल निवासी ए/75 न्यू कॉलोनी वेयर हाउस के पीछे गुलाबपुरा जिला भीलवाडा।
2.रामनाथ पुत्र श्री हरदेव जी जाट जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील बिजयनगर जिला अजमेर हाल निवासी नारी शाला रोड, अशोक नगर रोड नंबर 4 अजमेर।

..............................प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र श्री उंकार जी जाट
2. शिवराज पुत्र श्री उंकार जी जाट
3. मेघराज पुत्र श्री उंकार जी जाट
4. देशराज पुत्र श्री उंकार जी जाट
5. श्रीमती ज्ञानादेवी पत्नि श्री रमेशचन्द्र उर्फ नानूराम जी जाट
6. भंवर पुत्र श्री प्रभू जाट
7. श्रीमती सोहनी पत्नि श्री प्रभू जाट निवासी ग्राम देवास तहसील बिजयनगर अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

..................................अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम देवास पटवार मंडल देवास तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा न0 192 रकबा 00–10–00 व 193 रकबा 00–03–00 . 194 रकबा 01–01–10 . बिस्वा उनकी खुदकाश्त से संयुक्त खातेदारी की भूमि है एव खसरा न0 208 .209. 210 किस्म गै. मु. मोरी सरकारी मे दर्ज है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील प्रार्थीगण को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम देवास पटवार मंडल देवासं की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 195 में खसरा न0 192 रकबा 00–10–00 व 193 रकबा 00–03–00 .194 01–01–10 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। तथा खसरा न0 208 .209. 210 किस्म गै. मु. मोरी सरकारी मे दर्ज है इसलिये इन खसरा नम्बरो मे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी नही जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आशिंक स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम देवास पटवार मंडल देवासं स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा न0 192 रकबा 00–10–00 व 193 रकबा 00–03–00 .194 01–01–10 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमियो की मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2018 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 16:16:32 IST
Reason: SelfAttested